<u>**न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी–खीरी।**</u>

CNR NO.–UPLP 1200 3207 2024

कम्प्यूटर पंजीकरण सं०–135/2024

राजाराम बनाम रामपाल आदि

मुकदमा सं०–5477/2024

थाना–मैगलगंज, जिला–खीरी।

<u>**दिनांकः 19.08.2026**</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। परिवादी तथा उसके विद्वान अधिवक्ता गैर हाजिर। परिवादी के साक्ष्य अं०धारा–225 बी०एन०एस०एस० का अवसर समाप्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते आदेश लंच बाद पेश हो।

(रजत प्रकाश सोन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोहम्मदी–खीरी।
(JO CODE–UP 3725)

<u>**दिनांकः 19.08.2026 लंच बाद,**</u>

पत्रावली लंच बाद आदेश हेतु पुनः पेश हुई। बार–बार पुकार लगायी गयी। पुकार पर परिवादीी गैर हाजिर। पत्रावली का सम्पूर्ण अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 09.09.2024 को परिवादी का बयान धारा–223 बी०एन०एस०एस० अंकित किया गया। इसके पश्चात पत्रावली दिनांक 10.10.2024 से परिवादी के साक्ष्य अं०धारा–225 बी०एन०एस०एस० हेतु नियत है। दिनांक 10.10.2024 से आज दिनांक 19.08.2026 तक परिवादी के द्वारा कोई भी गवाह लगभग दो वर्ष के समयान्तराल में प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा गवाह प्रस्तुत न कराये जाने का कोई कारण भी परिवादी द्वारा नहीं बताया जा रहा है।

पत्रावली के परिशीलन से यह भी विदित होता है कि पत्रावली पर परिवादी ने जरिए विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना पत्र दिनांकित 31.07.2026 प्रस्तुत कर मुकदमा वापस लिये जाने की याचना की है। परिवादी आज न्यायालय में उपस्थित नहीं है। परिवादी की ओर से कोई भी स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी अपने वाद में कोई रुचि नहीं ले रहा है। इस समय न्यायालय की घड़ी में 04:30 बजे है, परिवादी तथा उसके विद्वान अधिवक्ता पुकार पर गैर हाजिर हैं। पत्रावली पर अभियुक्तगण को तलब किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य सामग्री मौजूद नहीं है। अतः उपरोक्त वाद, परिवादी की अनुपस्थिति में धारा–226 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>**आदेश**</u>

प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद, परिवादी की अनुपस्थिति में धारा–226 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(रजत प्रकाश सोन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोहम्मदी–खीरी।
(JO CODE–UP 3725)